रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072026-274835
CG-DL-E-27072026-274835

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3887] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 23, 2026/श्रावण 1, 1948
No. 3887] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 23, 2026//SHRAVAN 1, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2026

का.आ. 4057(अ).—यतः, समय समय पर संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, अधिसूचना संख्या का.आ. संख्या 1807 (अ) दिनांक 7 जून, 2017 द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 226 (नया एनएच 36) के किमी 77.200 से किमी 154.929 तक (तिरुमयम-मानामदुरै खंड) के भाग के पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन खंड के उपयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत किया है।

अब, इसलिए, समय समय पर संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 1807(अ), दिनांक 07 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

(i) उक्त अधिसूचना के पैरा 3 में, वाक्यांश "तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 226 के तिरुमयम-मानामदुरै खंड के 77.200 किमी (विद्यमान चेनेज़ किमी 72.185) से किमी 154.929 (विद्यमान चेनेज़ किमी 149.800) तक 21.809 किमी लंबाई वाले बाईपास [बाईपास पर 300 मीटर संरचना को छोड़कर (60 मीटर से अधिक

लंबाई वाली) 3.000 किमी की समतुल्य लंबाई वाली] के उपयोग के लिए नीचे तालिका-1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दरों के 90% पर " को निम्नलिखित वाक्यांशों से प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

"तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 226 के किमी 77.200 से किमी 102.450 तक और किमी 105.050 से किमी 154.929 तक तिरुमयम - मानामदुरै खंड के 19.209 किमी लंबाई वाले बाईपास [बाईपास पर 300 मीटर संरचना को छोड़कर (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) 3.000 किमी की समतुल्य लंबाई वाली] के उपयोग के लिए नीचे तालिका-1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दरों के 90% पर"

(ii) उक्त अधिसूचना में, तालिका-1 के बाद क्रमांक 1 और 2 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

1. इसके अंतर्गत उदग्रहीत और संग्रहीत शुल्क, ऐसे शुल्क प्लाज़ा के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क खंड लंबाई हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर देय और संदेय होगी:

शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज़)	**लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है**	**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
शिवगंगा ज़िले में शेनबागमपेट्टई गाँव के पास एनएच-226 (नया एनएच-36) के किमी 92.957 पर, डिज़ाइन चेनेज (किमी 88.487 पर, विद्यमान चेनेज)	55.620 [4 बाईपासों की लंबाई अर्थात 19.209 और पैरा-2 और 3 में इंगित अवसंरचना की लंबाई 300 मीटर को छोड़कर]	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (ओं) पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक की लागत वाले बाईपास (सों) के उपयोग के लिए शुल्क देय और संदेय होगा, जो ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाईपास (सों) लंबाई के लिए है:

शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज़)	**चेनेज के साथ बाईपास के नाम**	**बाईपास की लंबाई (किमी में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क देय है**		**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
		लंबाई (किमी में)	**लागत (करोड़ रुपये में)**	
शिवगंगा ज़िले में शेनबागमपेट्टई गाँव के पास एनएच-226 (नया एनएच-36) के किमी 92.957 पर, डिज़ाइन चेनेज (किमी 88.487 पर, विद्यमान चेनेज)	थिरुमयम बाईपास एनएच-226 (नया एनएच-36) के डिजाइन चेनेज़-77.200 पर आरंभ होता है और डिजाइन चेनेज़-79.000 पर मिलता है	1.800	35.81	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 90%(जो कि 60% आधार दरों का 1.5 गुणा है)
	थुरुप्पथुर बाईपास एनएच-226 (नया एनएच-36) के डिजाइन चेनेंज किमी 98.200 पर आरंभ होता है और डिजाइन चेनेंज किमी 102.450 पर मिलता है और डिजाइन चेनेंज किमी 105.050 पर आरंभ होता है और डिजाइन चेनेंज किमी 105.670 पर मिलता है	4.85	32.80	
	शिवगंगा बाईपास एनएच-226 (नया एनएच-36) के डिजाइन चेन-131.730 पर आरंभ होता है और डिजाइन चेनेज़-140.480 पर मिलता है	8.750	57.62	
	मानामदुरै बाईपास एनएच-226 के डिजाइन चेनेज़-150.820 पर आरंभ होता है और डिजाइन चेनेज़-154.929 पर मिलता है	3.809 (नीचे क्रमांक 3 में वर्णित अवसंरचनाओं की 0.300 किमी लंबाई को छोड़कर)	37.35	
	कुल	19.209	163.58	

यह संशोधन अधिसूचना एनएच-338, 36 और 383 के मेलूर - कराईकुडी खंड के किलोमीटर 22.000 पर ब्राह्मणपट्टी शुल्क प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क संग्रह के प्रारंभ होने की तिथि और समय से तत्काल प्रभाव में आएगी।

[फा. सं. परियोजना-26017(20)/8/2024-पीआईयू कराईकुडी ई-264269]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2026

S.O. 4057(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time, the Central Government vide notification S.O. 1807 (E) dated 07th June, 2017 has authorised the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the fee for the use of two lane with paved shoulders section of the stretch from Km. 77.200 to Km. 154.929 (Thirumayam – Manamadurai Section) of National Highway No.226 (New NH 36) in the State of Tamil Nadu.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time, the Central Government hereby makes following amendment in the Notification bearing S.O. 1807(E) dated 07th June, 2017(hereinafter referred to as the 'said notification'), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

(i) In paragraph 3 of the said notification, the phrases "*bypasses having a length of 21.809 km [excluding 300m of structure on bypass (having length more than 60m) with equivalent length of 3.000 km] at 90% of the base rates specified in column (2) of Table-1 below for the use of Thirumayam – Manamadurai Section from km 77.200 (Existing Ch. km 72.185) to km 154.929 (Existing Ch. km 149.800) of National Highway number 226 in the State of Tamil Nadu"* shall be substituted with the following phrases: -

"bypasses having a length of 19.209 km [excluding 300m of structure on bypass (having length more than 60m) with equivalent length of 3.000 km] at 90% of the base rates specified in column (2) of Table-1 below for the use of Thirumayam – Manamadurai Section from km 77.200 to km 102.450 & km 105.050 to km 154.929 of National Highway number 226 (New No. NH-36) in the State of Tamil Nadu"

(ii) In the said notification, for Sl. No. 1 and 2 after Table-1, the following shall be substituted, namely:—

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza:

Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At km 92.957, design chainage (at km 88.487, existing chainage) near village Shenbagampettai in Sivaganga district of NH-226 (New No. NH-36)	55.620 [excluding length of 4 Nos. bypasses i.e. 19.209 & 300m of Structure length indicated in Para-2&3]	60% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass(es) costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza(s) for net bypass(es) length specified for such Fee Plaza:

Location of Fee Plaza (chainage)	Names of Bypass with Chainage	Length of Bypass (in km) for which additional fee is payable		Rate at which Fee is payable
		Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At km 92.957, design chainage (at km 88.487, existing chainage) near village	Thirumayam Bypass taking off at design chainage km 77.200 and merging at design chainage km 79.000 of NH-226 (New No. NH-36)	1.800	35.81	90% of the base rates (i.e. 1.5 times of 60% of the base rates)

Shenbagampettai in Sivaganga district of NH-226	Thuruppathur Bypass taking off at design chainage km 98.200 and merging at design chainage km 102.450 & taking off at design chainage km 105.050 and merging at design chainage km 105.670 of NH-226 (New No. NH-36)	4.85	32.80	mentioned in Table-1 above
	Sivaganga Bypass taking off at design chainage km 131.730 and merging at design chainage km 140.480 of NH-226 (New No. NH-36)	8.750	57.62	
	Manamadurai Bypass taking off at design chainage km 150.820 and merging at design chainage km 154.929 of NH-226	3.809 (Excluding 0.300 km length of structures indicated in Sl. No. 3 below)	37.35	
	TOTAL	**19.209**	**163.58**	

This amendment notification shall come into force immediately from the date & time of commencement of user fee collection at Brahmanapatti Fee plaza at km 22.000 of Melur – Karaikudi Section of NH-338, 36 & 383.

[F. No. PROJ-26017(20)/8/2024-PIU Karaikudi E-264269]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.07.27 14:08:01 +05'30'